

# **HIGH COURT OF MADHYA PRADESH; JABALPUR**


Endt. No. <sup>B/240</sup>...../2022  
V-3-7/59

Jabalpur, dated ...12.../Jan., 2022

The copy of Endt. No. F-19-65/2021/1/4 dated 26/11/2021 issued by Secretary, General Administrative Department, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal is forwarded to:

1. Principal Registrar, High Court of M.P., Bench Indore/Gwalior
2. Principal District & Sessions Judge (All in the State).....
3. Registrars (All) /O.S.D (All)..... High Court of MP, Jabalpur
4. Member Secretary, State Court Management System, High Court of M.P. Jabalpur
5. OSD-cum-PPS to Hon'ble the Chief Justice, High Court of MP, Jabalpur
- ✓ 6. Senior Principal System Analyst (SA) with a request to upload the same in the Official Website of High Court.
7. P.S. to Registrar General/Principal Registrars (All).....
8. Assistant Registrar (Protocol), High Court of MP, Jabalpur -

for information & necessary action.

  
12/01/2022

(ABHISHEK PATEL)  
ASSISTANT REGISTRAR (P)

C&D

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 19-65/2021/1/4

भोपाल, दिनांक 26 नवंबर, 2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत  
मध्यप्रदेश।

विषय:- समस्त शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा खपत में कम से कम 10 प्रतिशत विद्युत बचत सुनिश्चित करने के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया कि प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों की ऊर्जा खपत में कम से कम 10 प्रतिशत की बचत की जावे। इसके लिए निम्न सुझावों पर कार्यवाही की जा सकती है :-

1. कार्यालय में जरूरत न होने पर उपकरण को मुख्य स्विच से स्विच ऑफ करें।
2. कार्यालय से जाते समय समस्त विद्युत उपकरणों को स्विच ऑफ करें।
3. कार्यालयों में सामान्य बल्ब की जगह गुणवत्तायुक्त एल.ई.डी. बल्ब का उपयोग करें, जो सामान्य बल्ब अपेक्षा विद्युत की बचत करते हैं एवं अधिक समय तक खराब भी नहीं होते हैं।
4. कार्यालयों में दिन के समय कम बल्ब, न्यूनतम आवश्यकतानुसार उपयोग करें।
5. कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर का उपयोग न करते हुए स्क्रीन सेवर की जगह ब्लैंक (Blank) पर सेटिंग करें इससे बिजली की बचत होगी।
6. एयर कंडीशनर (ए.सी.) को आदर्श तापमान पर सेटिंग करें एवं यदि आवश्यक न हो तो एयर कंडीशनर का उपयोग न करें।
7. कम्प्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, कोपियर को स्लीप मोड में सेटिंग करें, जिससे विद्युत की बचत होगी।
8. कार्यालय में पंखे को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करें।

निरन्तर ... 2

//2//

9. यथासंभव टास्क लाईट का इस्तेमाल करें, ना कि पूरे कमरे कि बिजली जलाएं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा का अपव्यय न हो। यह भी अपेक्षा है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने आवासों में भी ऊर्जा की कम से कम 10 प्रतिशत बचत करें। उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत अपेक्षा न्यूनतम है, इसे और अधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

(डॉ. श्रीनिवास<sup>hp</sup> शर्मा)  
सचिव

म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 26 नवंबर, 2021

पृ0क्रमांक एफ 19-65/2021/1/4  
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
  2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल,
  3. उप सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
  4. पुलिस महानिदेशक, म.प्र., भोपाल,
  5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल,
  6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल,
  7. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामनेशन बोर्ड/माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल,
  8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
  9. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल,
  10. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर,
  11. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
  12. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
  13. सचिव, म.प्र. अल्प संख्यक आयोग, भोपाल,
  14. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, अरेरा हिल्स, भोपाल,
  15. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर,
  16. प्रबंध संचालक, समस्त निकाय/मंडल, म.प्र.,
  17. माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/ निज सहायक, म.प्र. भोपाल,
  18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ ग्वालियर/ जबलपुर म.प्र.,
  19. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल,
  20. अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख) म.प्र., मंत्रालय, भोपाल,
  21. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल
  22. निज सचिव/निज सहायक, समस्त मंत्रीगण, म.प्र. शासन, भोपाल,
  23. अधीक्षक, स्टेट गैरेज, भोपाल,
  24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/ संघ
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

High Court of Madhya Pradesh  
JABALPUR  
29 DEC 2021  
Reg No. 2857  
Receipt Clerk  
High Court Jabalpur

(सचिव)

म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग